(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

संख्या 07/2025- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी, 2025

सा.का.नि. ..... (अ)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2017- एकीकृत कर (दर), जिसे सा.का.नि. 685(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 5 के समक्ष, स्तंभ (3) में, “कोई भी व्यक्ति” शब्दों के पश्चात, “जो कि निगमित निकाय नहीं है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

(मो. आदिल अशरफ)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 10/2017- एकीकृत कर (दर) को सा.का.नि. 685 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 09/2024- एकीकृत कर (दर), जिसे सा.का.नि. 625(अ),

दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था ।